(याचिका का हिन्दी संस्करण)

याचिका संख्या.........जीटी/2024

2019-24 तक की अवधि के लिए उड़ी-II पावर स्टेशन के टैरिफ के ट्रूइंग-अप हेतु याचिका और 2024-29 की अवधि के लिए उड़ी-II पावर स्टेशन के टैरिफ हेतु याचिका

एन एच पी सी लिमिटेड
(भारत सरकार का एक नवरत्न उद्यम)
NHPC Limited
(A Government of India Navratna Enterprise)

एनएचपीसी
NHPC
A Navratna Company

खंड-I

वाणिज्यिक विभाग

एनएचपीसी कार्यालय परिसर

सेक्टर-33,फरीदाबाद (हरियाणा) –121003

(अंग्रेजी संस्करण और हिंदी संस्करण के बीच असंगति या विसंगति की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।)

माननीय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष

<u>माननीय केंद्रीय विद्युत नियामक के समक्ष</u>

<u>आयोग, नई दिल्ली</u>

याचिका संख्या /जीटी/2024

<u>इस मामले में :</u>

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1) (ए) और 79(1)(ए) और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 2023 के विनियम 15(1)(ए), 18, 23 और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2019 के विनियम 13, 25,26,31(3), 34(3) , 35(2) के तहत **उड़ी-II पावर स्टेशन** के संबंध में टैरिफ अवधि 2019-24 हेतु टैरिफ के ट्रूइंग अप हेतु याचिका ।

<u>और इस मामले में :</u>

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1) (ए) और 79(1)(ए) और और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 2023 के विनियम 15(1)(ए), 18, 23 और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2024 के विनियम 9(2), 10(1), 12, 25, 26,36 (2), 65(7), 65(8) एवं 91और अन्य प्रासंगिक विनियमों के तहत **उड़ी-II पावर स्टेशन** के संबंध में 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण हेतु याचिका ।

याचिकाकर्ता:

एनएचपीसी लिमिटेड,
(भारत सरकार का नवरत्न उद्यम)
एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33,
फरीदाबाद (हरियाणा) - 121 003.

प्रतिवादी (गण):

1. अध्यक्ष ,
पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड,
द मॉल, काली बाड़ी मंदिर के पास, पटियाला – 147 001 (पंजाब)
ईमेल: seisbpspcl@gmail.com
फ़ोन नंबर : 9646121804

2. हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र,
शक्ति भवन, सेक्टर-6, पंचकुला-134109 (हरियाणा)।
ईमेल: cehppc@uhbvn.org.in
फ़ोन नंबर 9316274614

3. अध्यक्ष ,
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001 (उत्तर प्रदेश)
ईमेल : spatcircle2010@gmail.com
फ़ोन : 0522-2287827, 9415005911

4. मुख्य अभियंता एवं सचिव,
इंजीनियरिंग विभाग, प्रथम तल ,
यूटी चंडीगढ़, सेक्टर 9-डी,
चंडीगढ़ – 160 009
ईमेल: elop2-chd@nic.in
फ़ोन: 8054104521

5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, बीएसईएस भवन,
नेहरू प्लेस, नई दिल्ली – 110 019
ईमेल: megha.bajpeyi@relianceada.com
फ़ोन: 9313819851

6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड,

शक्ति किरण बिल्डिंग, कड़कड़डूमा, दिल्ली - 110 072

ईमेल: sameer.singh@relianceada.com ; prem.kumar@relianceada.com

फ़ोन: 8010618255

7. मुख्य परिचालन अधिकारी,

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड,

पूर्ववर्ती नॉर्थ दिल्ली पावर लिमिटेड, ग्रिड सब-स्टेशन बिल्डिंग,

हडसन लाइन्स, किंग्सवे कैंप, नई दिल्ली – 110 009।

ईमेल: anurag.bansal@tatapower-ddl.com

फ़ोन: 9971393919.

8. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,

उत्तरांचल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऊर्जा भवन,

कांवली रोड, देहरादून - 248 001 ((उत्तराखंड)

ईमेल: CGMUPCL@YAHOO.COM

फ़ोन: 7533967111

9. प्रबंध निदेशक,

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल),

विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर - 302 005 (राजस्थान)

फ़ोन : 91-141-2741134; ईमेल : md@jvvl.org

10. प्रबंध निदेशक,

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पुराना पावर हाउस,

हट्ठी भट्टा, जयपुर रोड, अजमेर - 305 001 (राजस्थान)

फ़ोन : 0145 2644551,

ईमेल : avvn10145@yahoo.com , seitajm.avvnl@rajasthan.gov.in

11. प्रबंध निदेशक,

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, न्यू पावर हाउस,

औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर – 342 003 (राजस्थान)

फ़ोन : 0291-2651200;

ईमेल : cs.jdvvnl@rajasthan.gov.in

12. प्रधान सचिव,

विद्युत विकास विभाग, नया सचिवालय,
जम्मू (जम्मू और कश्मीर)– 180 001
ईमेल : sqmjkspdcll@gmail.com ;   फ़ोन : 9419156100.

एनएचपीसी लिमिटेड
के माध्यम से

(अजय श्रीवास)
महाप्रबंधक (वाणिज्य)

स्थान : फरीदाबाद
तारीख : 28.11.2024

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
	खंड- I	
1.	सामान्य शीर्षक (General Heading)	1-4
1.	अनुक्रमणिका	5
2.	याचिका	6-40
3.	शपथ पत्र एवं अधिकार पत्र	41-45
4.	अनुलग्नक:	
अनुलग्नक -I	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2019 में निर्धारित अनुसार ऑडिटेड टैरिफ फॉर्म 1 से 19	46-174
अनुलग्नक -II	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की शर्तें एवं नियम) विनियम, 2024 में निर्धारित अनुसार ऑडिटेड टैरिफ फॉर्म 1 से 19	175-360
अनुलग्नक – III	याचिका संख्या 18/GT/2021 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC) टैरिफ आदेश दिनांक 27.11.2023	361-421
अनुलग्नक – IV	लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रभावी दर प्रमाणपत्र	422-431
	खंड -II	
अनुलग्नक -V	बीमा दावे के समर्थन में दस्तावेज़-सीपीएम और मेगा बीमा पॉलिसी	432-694
अनुलग्नक -VI	मेसर्स एचसीसी एवं एनएचपीसी के बीच पंचाट निर्णय का दावा करने के लिए सहायक दस्तावेज (विवाद संख्या -1)	695-803
अनुलग्नक -VII	मेसर्स एचसीसी एवं एनएचपीसी के बीच पंचाट निर्णय का दावा करने के लिए सहायक दस्तावेज (विवाद संख्या -2)	804-873
	खंड -III	
अनुलग्नक -VIII	मेसर्स एचसीसी एवं एनएचपीसी के बीच पंचाट निर्णय का दावा करने के लिए सहायक दस्तावेज (विवाद संख्या -3)	874-996
अनुलग्नक –IX	2019-22 की अवधि के लिए ऑडिटेड बैलेंस शीट	997-1348
	खंड -IV	
अनुलग्नक –IX	2022-24 की अवधि के लिए ऑडिटेड बैलेंस शीट	1349-1580
	ऋण के पुनर्वित्तपोषण के कारण लाभ की गणना	1581-1589
अनुलग्नक -X	485वीं एनएचपीसी निदेशक मंडल की बैठक का कार्यवृत्त और बोर्ड एजेंडा नोट	1581-1589
अनुलग्नक -XI	2019-24 के दौरान पूंजीगत पुर्जों के खपत का विवरण	1590-1600
	प्रतिवादी (गण) को भेजे गए ईमेल का प्रमाण (केवल CERC के लिए)	

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1) (ए) और 79(1)(ए) और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 2023 के विनियम 15(1)(ए), 18, 23 और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2019 के विनियम 13, 25,26,31(3), 34(3),35(2) और 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ के सही निर्धारण के लिए इसके बाद के संशोधन और **उड़ी-II पावर स्टेशन** के संबंध में 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2024 के विनियम 9(2), 10(1), 12, 25, 26,36 (2), 65(7), 65(8) एवं 91 और और अन्य प्रासंगिक विनियमों के तहत याचिका।

<u>(ए) याचिका का कार्यकारी सारांश</u>

1. एनएचपीसी लिमिटेड, जिसे आगे 'एनएचपीसी' कहा जाएगा, विद्युत मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक नवरत्न उद्यम है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक कंपनी है। इसके अलावा, यह विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2(28) के तहत परिभाषित एक 'जनरेटिंग कंपनी' है। एनएचपीसी के पावर स्टेशनों से उत्पादित बिजली उसके लाभार्थियों को आपूर्ति की जा रही है।

2. क्रमांक संख्या 1 से 12 पर वे प्रतिवादी उल्लिखित हैं जो उड़ी-II पावर स्टेशन (4 x60=240 मेगावाट) के लाभार्थी हैं तथा जो हस्ताक्षरित विद्युत क्रय समझौतों (पीपीए)/बीपीएसए के अनुसार इस पावर स्टेशन से बिजली प्राप्त कर रहे हैं और अपने-अपने राज्यों/क्षेत्रों में बिजली के वितरण के लिए जिम्मेदार हैं।

3. उड़ी-II पावर स्टेशन (4 x60=240 मेगावाट) (जिसे आगे "उड़ी-II" पावर स्टेशन कहा जाएगा) जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित है तथा इसका 01.03.2014 को वाणिज्यिक संचालन घोषित किया गया है। एनएचपीसी वाणिज्यिक संचालन के बाद से इस पावर स्टेशन का संचालन और रखरखाव कर रही है।

4. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 में वितरण लाइसेंसधारी को विद्युत आपूर्ति करने वाली उत्पादक कंपनी द्वारा विद्युत आपूर्ति के लिए उपयुक्त आयोग द्वारा टैरिफ निर्धारण का प्रावधान है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ए) के तहत माननीय आयोग को केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली या उसके नियंत्रण वाली उत्पादक कंपनियों के टैरिफ को विनियमित करने का कार्य सौंपा गया है।

5. माननीय आयोग द्वारा केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ की शर्तें और नियम) विनियम, 2019 के अनुसार याचिका संख्या 18/जीटी/2021 में दिनांक 27.11.2023 के आदेश के तहत टैरिफ अवधि 01.04.2019 से 31.03.2024 के लिए उड़ी-II का टैरिफ निर्धारित किया गया है।

6. माननीय आयोग के दिनांक 27.11.2023 के आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने माननीय APTEL के समक्ष अपील संख्या 31/2024 दायर की है। याचिकाकर्ता ने याचिका संख्या 279/GT/2018 (COD से 31.03.2014 तक) में दिनांक 05.02.2020 के टैरिफ आदेश के विरुद्ध APTEL के समक्ष अपील संख्या 549/2023 भी दायर की है।

7. उपर्युक्त अपील के परिणाम (अर्थात 2023 का 549 और 2024 का 31) का 2009-14, 2014-19 और 2019-24 की अवधि के लिए पावर स्टेशन के टैरिफ पर परिणामी प्रभाव पड़ेगा, माननीय आयोग से अनुरोध है कि 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ को सही करते समय और 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ को अंतिम रूप देते समय उक्त अपील के परिणाम पर विचार करें।

8. याचिका से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नानुसार हैं:

01.03.2014	उड़ी-II पावर स्टेशन का सीओडी
30.09.2019	2014-19 की अवधि के लिए टैरिफ के ट्रू-अप और 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण के हेतु टैरिफ याचिका संख्या 18/जीटी/2021 दाखिल करना (अनुलग्नक-III)

09.01.2024	याचिका संख्या 18/जीटी/2021 के 27.11.2023के टैरिफ आदेश में समीक्षा याचिका 05/आरपी/2024 दाखिल करना।
07.05.2024	याचिका संख्या 18/जीटी/2021 के 27.11.2023के टैरिफ आदेश में समीक्षा याचिका 05/आरपी/2024 दाखिल करना।

दावों का सारांश:

(ट्रूइंग अप याचिका- 2019-24)

पूंजीगत लागत :

(लाख रुपए में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
दिनांक 27.11.2023 के आदेश द्वारा नेट अतिरिक्त अनुमत पूंजीकरण (Net Allowed Add Cap)	1701.83	1603.45	351.68	1880.88	2437.59
इस याचिका में दावा किया गया नेट वास्तविक ऐड कैप	2144.89	1425.30	598.71	1702.54	751.03

<u>वार्षिक नियत लागत (एएफसी) :</u>

(लाख रुपए में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
दिनांक 27.11.2023 के आदेश द्वारा अनुमत वार्षिक नियत लागत (एएफसी)	43621.59	43418.83	43217.14	42848.84	42639.93
तत्काल याचिका में दावा किया गया वार्षिक नियत लागत (एएफसी)	44658.64	44291.73	43971.97	45960.82	45346.59

<u>(टैरिफ याचिका- 2024-29)</u>

पूंजी लागत:

(₹ लाख में)

विवरण	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
प्रारंभिक पूंजी लागत (Opening Capital Cost)	236612.48	248125.35	250325.76	251995.74	252248.02
वर्ष के दौरान शुद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण	11512.87	2200.41	1669.98	252.28	531.14

समापन (closing) पूंजी लागत	248125.35	250325.76	251995.74	252248.02	252779.16

वार्षिक नियत लागत (एएफसी):

(₹ लाख में)

विवरण (Particular)	**2024-25**	**2025-26**	**2026-27**	**2027-28**	**2028-29**
वार्षिक नियत लागत (एएफसी) का दावा	44650.32	45629.42	45912.66	35939.72	38087.00

(बी) विस्तृत याचिका

भाग-एः 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ का ट्रूइंग अप (अनुलग्नक-I)

1. माननीय आयोग ने, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ की शर्तें और नियम) विनियम, 2019 और उसके बाद के संशोधनों के अनुसार, याचिका संख्या 18/जीटी/2021 **(अनुलग्नक-III)**में अपने आदेश दिनांक 27.11.2023 के तहत टैरिफ अवधि 01.04.2019 से 31.03.2024 के लिए उड़ी-II पावर स्टेशन का टैरिफ निर्धारित किया है ।

2. माननीय आयोग द्वारा दिनांक 27.11.2023 के आदेश के तहत अनुमत अनुमानित अतिरिक्त पूंजीकरण और गैर पूंजीकरण (देयताओं के निर्वहन सहित, यदि कोई है) का सारांश निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
अतिरिक्त पूंजीगत व्यय की अनुमति (ए)	1533.07	836.99	247.92	1880.88	2437.59
अनुमत पूंजी विनिवेश (बी)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दायित्वों)का निर्वहन (सी)	168.76	766.46	103.76	0.00	0.00
अनुमत शुद्ध अतिरिक्त पूंजीगत व्यय (डी)=(ए)-(बी)+(सी)	**1701.83**	**1603.45**	**351.68**	**1880.88**	**2437.59**

3. माननीय आयोग द्वारा दिनांक 27.11.2023 के आदेश के तहत प्रारम्भिक पूंजीगत लागत 229990.00 लाख रुपए और अतिरिक्त पूंजीकरण पर विचार करते हुए अनुमत वार्षिक नियत लागत (एएफसी) का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
मूल्यह्रास	11755.91	11840.07	11889.86	11946.71	12056.67
ऋण पूंजी पर ब्याज	7684.02	6867.68	6098.88	5067.43	4056.84
इक्विटी पर रिटर्न	13005.71	13097.21	13151.96	13213.95	13334.61
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	934.24	883.88	834.87	843.24	852.78
प्रचालन और रखरखाव खर्चे (O & M Expenses) सुरक्षा को मिलाकर	10241.71	10730.00	11241.56	11777.52	12339.03

वार्षिक नियत लागत (एएफसी)	**43621.59**	**43418.83**	**43217.14**	**42848.84**	**42639.93**

4. वर्तमान याचिका, वास्तविक अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, इक्विटी पर रिटर्न की सकल कर दर, आधार दर, ऋण पर ब्याज दर, कार्यशील पूंजी पर ब्याज दर के आधार पर टैरिफ के ट्रू-अप के लिए सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियमन, 2019 के नियम 13, 25, 26, 31 (3), 34 (3), 35 (2) (सी), 65 (7) और 65 (8) के अनुसार 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ के ट्रू-अप के लिए माननीय आयोग के 27.11.2023 के टैरिफ आदेश के तहत निर्देश के अनुसार दायर की जा रही है।

5. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका निम्नलिखित कारणों से दायर की गई है:

   ए. सीईआरसी द्वारा जारी दिनांक 27.11.2023 के आदेश के अनुसार, अनुमत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय और 2019-24 के दौरान उड़ी-II द्वारा किए गए वास्तविक अतिरिक्त पूंजीगत व्यय में भिन्नता है। इसके अलावा, सीईआरसी द्वारा अनुमत कुछ अतिरिक्त पूंजीगत व्यय (संबंधित विलोपन सहित) नहीं किया गया है/नहीं किया जाना है और इसलिए इस याचिका में वास्तविक स्थिति का खुलासा/दावा किया जा रहा है।

   बी. कुछ अतिरिक्त पूंजीगत व्यय जिनका अनुमान पहले नहीं लगाया गया था, परंतु साइट विशेष की आवश्यकताओं के कारण (specific site requiremets), पावर स्टेशन द्वारा वहन किया गया जो संयंत्र के सुरक्षित, सफल और कुशल संचालन के लिए आवश्यक है । इस तरह के अतिरिक्त पूंजीकरण को टैरिफ के लिए आधारभूत पूंजी (capital base) के हिस्से के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

सी. सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 के विनियम 31(3) के अनुरूप 2019-24 की अवधि के लिए एनएचपीसी पर लागू 'प्रभावी कर दर' के आधार पर इक्विटी पर रिटर्न की सकल दर का ट्रूइंग अप करने हेतु ।

डी.ऋण **पूंजी पर ब्याज** (IOL) की गणना के लिए ऋण **पूंजी** पर ब्याज की दर एवं इक्विटी पर रिटर्न (कट-ऑफ तिथि के बाद मूल दायरे से परे अतिरिक्त पूंजीकरण पर इक्विटी के लिए) की गणना का ट्रूइंग अप करने हेतु ।

ई. कार्यशील पूंजी पर ब्याज (IOWL) की गणना के लिए आधार दर (टैरिफ अवधि के संबंधित वर्ष की 1 अप्रैल को एक वर्षीय एसबीआई एमसीएलआर + 350 आधार अंक) का ट्रूइंग अप करने हेतु ।

एफ. सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 के विनियमन 35(2)(सी) के अनुसार वास्तविक सुरक्षा व्यय और पूंजीगत पुर्जों की खपत हेतु दावा करना।

6. टैरिफ के लिए दावा किए गए शुद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण का विवरण 2019-24 की अवधि के लिए books के अनुसार वास्तविक पूंजीगत परिवर्धन से प्राप्त किया गया है। इसका विवरण नीचे सारणीबद्ध है:

(₹ लाख में)

क्रम सं.	**विवरण**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
ए	जोड़ें: वर्ष / अवधि के दौरान वृद्धि	2,032.39	862.84	444.14	1,225.54	460.67
बी	घटाएँ: वर्ष/अवधि के दौरान गैर-पूंजीकरण	0.00	72.67	22.16	0.00	0.44

सी	जोड़ें: वर्ष / अवधि के दौरान निर्वहन (discharges)	112.50	635.12	176.74	477.00	290.80
डी	**शुद्ध योग (ए-बी+सी)**	**2,144.89**	**1,425.30**	**598.71**	**1,702.54**	**751.03**

7. कुछ अतिरिक्त पूंजीकरण,जिनका दावा पहले याचिका संख्या 18/GT/2021 में नहीं किया गया था और जो जनरेटिंग स्टेशन के सुरक्षित, सफल और कुशल संचालन के लिए आवश्यक हो गए हैं। ये कार्य पावर स्टेशन के साइट की आवश्यकता के अनुसार किए गए हैं और 2019-24 की अवधि के लिए पुस्तकों (books) में पूंजीकृत किए गए हैं। इस तरह के अतिरिक्त पूंजीकरण का दावा सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019 के विनियम 26 के तहत संबंधित वित्तीय वर्ष में विस्तृत औचित्य के साथ फॉर्म 9A में किया गया है, क्योंकि व्यय के दावे के लिए कोई विशिष्ट खंड नहीं है। माननीय आयोग से अनुरोध है कि कृपया जनरेटिंग स्टेशन के टैरिफ के उद्देश्य से इस तरह के अतिरिक्त पूंजीकरण की अनुमति प्रदान करें।

8. छोटी संपत्तियों, औजारों और उपकरणों, फर्नीचर, कंप्यूटर आदि के प्रकृति की कुछ वस्तुएं, जिन्हें सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 के नियमन 25 और 26 के प्रावधानों के अनुसार कट ऑफ तारीख के बाद टैरिफ के उद्देश्य से पूंजीकृत करने की अनुमति नहीं है, को अप श्रेणी (फॉर्म 9डी) के तहत रखा गया है। ऐसी वस्तुओं को हटाने को फॉर्म 9बी(i) में भी बहिष्करण श्रेणी में रखा गया है क्योंकि टैरिफ के उद्देश्य से सीईआरसी द्वारा संबंधित सकारात्मक प्रविष्टियों की अनुमति नहीं दी जा रही है। तदनुसार, माननीय आयोग से अनुरोध है कि टैरिफ के उद्देश्य से ऐसी प्रविष्टियों को बाहर रखा जाए / अनदेखा किया जाए।

9. उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, सीईआरसी द्वारा दिनांक 27.11.2023 के आदेश के तहत पहले से ही अनुमत शुद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण और तत्काल याचिका में दावा किए गए 2019-24 हेतु शुद्ध वास्तविक अतिरिक्त पूंजीकरण का सारांश निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
दिनांक 27.11.2023 के आदेश द्वारा अनुमत शुद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण (Net Allowed Add Cap)	1701.83	1603.45	351.68	1880.88	2437.59
इस याचिका में दावा किया गया शुद्ध वास्तविक अतिरिक्त पूंजीकरण	2144.89	1425.30	598.71	1702.54	751.03

10. **पूंजीगत लागत:** उपरोक्त अतिरिक्त पूंजीकरण और ₹ 229990.00लाख (31.03.2019 तक) की प्रारंभिक पूंजी लागत को ध्यान में रखते हुए, टैरिफ की गणना के लिए वर्षवार पूंजीगत लागत निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
प्रारंभिक पूंजी लागत	229990.00	232134.89	233560.19	234158.91	235861.45
वर्ष के दौरान शुद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण	2144.89	1425.30	598.71	1702.54	751.03
समापन पूंजी लागत (closing capital cost)	232134.89	233560.19	234158.91	235861.45	236612.48

11. वार्षिक नियत लागत (एएफसी) की गणना:

उपरोक्त पूंजीगत लागत के आधार पर टैरिफ के विभिन्न घटकों की गणना निम्नलिखित विधि से की गई है, जैसा कि प्रासंगिक विनियमों में निर्दिष्ट है:

ए. **इक्विटी पर रिटर्न (ROE):**

(i) उड़ी-II एक ROR प्रकार का पावर स्टेशन है, अतएव इक्विटी पर रिटर्न (ROE) की गणना के लिए आधार दर (base rate) 31.03.2019 तक किए गए व्यय और कट-ऑफ तिथि से परे मूल दायरे में किए गए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के लिए सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019 के विनियम 30(2) के अनुसार 15.5% की दर पर विचार किया गया है।

(ii) मूल सीमा से परे और कट-ऑफ तिथि के बाद किए गए व्यय के लिए, उत्पादन स्टेशन की भारित औसत ब्याज दर को आरओई की गणना के लिए आधार दर माना गया है।

(iii) आरओई की आधार दर को सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2019 के विनियमन-31(3) के अनुसार टैरिफ अवधि **(अनुलग्नक-V)** के विभिन्न वर्षों के लिए एनएचपीसी पर लागू 'प्रभावी कर' दर के साथ जोड़ा गया है। इसका विवरण अनुलग्नक-I के फॉर्म-1(ii) में दिया गया है।

बी. मूल्यह्रास:

चूंकि उड़ी-II पावर स्टेशन ने अपने उपयोगी जीवन के 12 वर्ष पूरे नहीं किए हैं, इसलिए 2019-24 की अवधि के लिए लागू मूल्यह्रास की भारित औसत दर को सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 के विनियम 33(5) के अनुरूप 2019-24 की अवधि के लिए माना गया है। इसके अलावा, सीईआरसी के दिनांक 27.11.2023 के आदेश के अनुसार, 31.03.2019 तक वसूल किए गए 60640.89 लाख रुपये के शुद्ध संचयी मूल्यह्रास पर विचार किया गया है और वास्तविक ऐड कैप के अनुसार 2019-24 की अवधि के लिए मूल्यह्रास की पुनर्गणना की गई है।

सी. ऋण पर ब्याज:

सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2019 के विनियमन 32(5) के अनुरूप टैरिफ अवधि के लिए ऋण पर ब्याज की गणना के लिए वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो पर आधारित ब्याज की भारित औसत दर पर विचार किया जाता है।

वित्त वर्ष 2016-17 से ऋणों का पुनर्वित्तपोषण किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप उड़ी-II के मामले में भारित औसत ब्याज दरों और शुद्ध बचत में कमी आई है। चूंकि ऋण के पुनर्वित्तपोषण के कारण 100% लाभ स्वचालित रूप से एएफसी के माध्यम से लाभार्थी को मिल रहा है, इसलिए सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2019 के विनियमन 61 के अनुरूप इस तरह के पुनर्वित्तपोषण से जुड़ी लागत का हिसाब लगाने के बाद शुद्ध बचत का 50% वसूलने का प्रस्ताव है, जैसा कि निम्नलिखित विवरण में बताया गया है:

विवरणParameters	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
यदि पुनर्वित्त नहीं हुआ होता तो ब्याज की भारित औसत दर	8.980%	8.960%	8.930%	9.000%	9.100%
पुनर्वित्त के बाद ब्याज की भारित औसत दर	8.072%	8.143%	8.248%	8.174%	7.891%
ब्याज की भारित औसत दर में बचत	0.91%	0.82%	0.68%	0.83%	1.21%
पुनर्वित्त के कारण ब्याज में बचत	864.16	692.19	501.37	515.17	619.61
पुनर्वित्त लागत	0.44	0.43	0.46	0.34	0.33
पुनर्वित्त लागत को समायोजित करने के बाद शुद्ध लाभ	**863.72**	**691.76**	**500.91**	**514.83**	**619.28**
लाभार्थी से वसूल की जाने वाली शुद्ध बचत का 50%	**431.86**	**345.88**	**250.45**	**257.42**	**309.64**

ऋण के पुनर्वित्तपोषण के कारण लाभ की गणना का विवरण **अनुलग्नक-X** में संलग्न है। उपरोक्त राशि सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2019 के विनियमन 61 के अनुसार लाभार्थी से सीधे वसूल की जाएगी।

डी. प्रचालन एवं रखरखाव पर व्यय (O&M Expenses):

टैरिफ अवधि 2019-24 हेतु उड़ी-II पावर स्टेशन के लिए लागू मानक प्रचालन एवं रखरखाव पर खर्च (O&M Expenses) पहले ही माननीय आयोग द्वारा सीईआरसी (टैरिफ की शर्तें व नियम) विनियम, 2019 के तहत अधिसूचित किया जा चुका है और साथ ही आयोग ने टैरिफ आदेश दिनांक 27.11.2023 में भी इसकी अनुमति दी है। मानक प्रचालन एवं रखरखाव पर खर्च पहले ही माननीय आयोग द्वारा याचिका संख्या 18/जीटी/2020 में अपने आदेश दिनांक 27.11.2023 के तहत वास्तविक सुरक्षा व्यय **(फॉर्म-17 का अनुलग्नक-I)** के साथ पूंजीगत पुर्जों (capital spares) की वास्तविक खपत सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 के विनियम 35(2)(सी) के अनुसार किया गया है। वेतन संशोधन और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के प्रभाव को पहले ही सीईआरसी द्वारा याचिका संख्या 229/जीटी/2020 में दिनांक 27.11.2023 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई है, जिसे ओएंडएम व्यय के तहत माना गया है। माननीय आयोग से अनुरोध है कि इसे अनुमति दी जाए।

ई. कार्यशील पूंजी पर ब्याज

कार्यशील पूंजी पर ब्याज की गणना सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 के विनियम 34(3) के अनुसार टैरिफ अवधि के संबंधित वर्ष की 1 अप्रैल को बैंक दर (1 वर्ष एसबीआई एमसीएलआर + 350 बीपी) पर विनियमन 34(1)(सी) के अनुसार मानक आधार पर की गई है।

12. ऊपर पैरा-10 और पैरा-11 में उल्लिखित पूंजी लागत और मापदंडों के आधार पर, याचिकाकर्ता ने टैरिफ अवधि 2019-24 के लिए संशोधित वार्षिक नियत लागत (एएफसी) की गणना की है। सीईआरसी द्वारा 27.11.2023 के आदेश के तहत अनुमत एएफसी का विवरण और याचिकाकर्ता द्वारा गणना की गई और तत्काल याचिका में दावा किया गया विवरण नीचे संक्षेप में दिया गया है:

(₹ लाख में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24

27.11.2023 के आदेश द्वारा अनुमत एएफसी	43621.59	43418.83	43217.14	42848.84	42639.93
वर्तमान याचिका में दावा किया गया ए.एफ.सी.					
मूल्यह्रास	11765.90	11852.83	11903.78	11964.80	12028.62
ऋण पर ब्याज	7686.58	6894.44	6063.87	5100.32	4044.72
इक्विटी पर रिटर्न	12996.48	13195.58	13201.19	15193.63	15485.37
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	977.46	914.47	861.79	908.42	1,026.37
प्रचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) पर व्यय	11232.22	11434.40	11941.34	12793.65	12761.51
दावा किया गया वार्षिक नियत लागत (एएफसी)	**44658.64**	**44291.73**	**43971.97**	**45960.82**	**45346.59**

तत्काल याचिका में दावा किए गए एएफसी और दिनांक 27.11.2023 के आदेश के अनुसार अनुमत एएफसी के बीच अंतर को सीईआरसी (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2019 के विनियम 13 के खंड (4) के प्रावधानों के अनुसार लाभार्थियों से वसूल / वापस करने की अनुमति प्रदान करें ।

13. सीईआरसी (शुल्क का भुगतान) विनियम, 2012 और इसके संशोधनों के अनुरूप एनएचपीसी के चालू पावर स्टेशनों के संबंध में फाइलिंग शुल्क का भुगतान अप्रैल माह के दौरान सीईआरसी को वर्ष दर वर्ष आधार पर नियमित रूप से किया जा रहा है। उड़ी-II पावर स्टेशन के संबंध में 2019-24 के दौरान भुगतान किए गए टैरिफ फाइलिंग शुल्क का विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	**राशि (रु. में)**
2019-20	10,56,000/-
2020-21	10,56,000/-
2021-22	10,56,000/-
2022-23	10,56,000/-
2023-24	10,56,000/-
कुल	**52,80,000/-**

इस प्रकार भुगतान किया गया टैरिफ फाइलिंग शुल्क टैरिफ आदेश दिनांक 27.11.2023 के अनुरूप प्रतिवादियों से वसूला जा रहा है।

14. उपरोक्त टैरिफ में कोई भी वैधानिक कर, levies, duties, उपकर, प्रभार या किसी भी अन्य प्रकार का अधिरोपण (imposition) शामिल नहीं है, जो किसी भी सरकार (केन्द्रीय/राज्य) और/या किसी अन्य स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/विनियामक प्राधिकरण द्वारा किसी अधिनियम या विनियमन के माध्यम से विद्युत उत्पादन, auxiliary consumption सहित या किसी अन्य प्रकार का consumption , विद्युत पारेषण, पर्यावरण संरक्षण, विद्युत/ऊर्जा की बिक्री या आपूर्ति, और/या

उत्पादन स्टेशनों और/या पारेषण प्रणाली से संबद्ध इसके किसी भी प्रतिष्ठान के संबंध में लगाया/प्रभारित किया गया हो।

15. एनएचपीसी द्वारा किसी भी माह में संबंधित प्राधिकारियों को उक्त करों/शुल्कों/उपकर/लेवी/प्रभारों आदि के रूप में देय ऐसे करों/शुल्कों/उपकर/लेवी/प्रभारों आदि की राशि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 के विनियम 56 के अनुसार प्रतिवादियों द्वारा वहन किया जाएगा तथा याचिकाकर्ता को अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।

16. इसके अलावा, टैरिफ प्रस्ताव में सीईआरसी (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020 और इसके संशोधनों तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की फीस तथा प्रभार तथा अन्द्य सहबद्ध मामले) विनियम, 2019 और इसके संशोधनों के तहत PGCIL, POSOCO/NLDC को भुगतान किए जाने वाले किसी भी ट्रांसमिशन/संचार/यूएलडीसी (ULDC) शुल्क शामिल नहीं हैं। सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 के विनियम 57 और 70(3) के अनुसार ये शुल्क लाभार्थियों से सीधे वसूल किए जा सकेंगे।

भाग -बी: 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ याचिका (अनुलग्नक-II)

1. सीईआरसी टैरिफ विनियम 2024 के विनियम 9(2), 10(1), 12, 25, 26 36(2) और 91 के अनुसार याचिकाकर्ता को 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ याचिका के साथ-साथ 2019-24 की अवधि के लिए ट्रूइंग अप याचिका 30.11.2024 तक प्रस्तुत करनी होगी। सीईआरसी टैरिफ विनियमन के विनियमन 9(2) और 12 का प्रासंगिक अंश निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"9 टैरिफ निर्धारण के लिए आवेदन

....

(2) विद्यमान उत्पादन स्टेशन या उसकी इकाई, या पारेषण प्रणाली या उसके घटक के मामले में, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, यथास्थिति, द्वारा आवेदन केविविआ (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2019 के अनुसार, पहले से स्वीकृत और दिनांक 31.3.2024

तक व्ययित अतिरिक्त पूंजी लागत (वास्तविक या अनुमानित पूंजी लागत के आधार पर) सहित स्वीकृत पूंजी लागत और 2019-24 की अवधी के लिए ट्रूअप याचिका के साथ 2024-29 की तारीफ अवधि के संबंधित वर्षों के लिए अनुमानित अतिरिक्त पूंजी व्यय सहित के आधार पर दिनांक 30.11.2024 तक किया जा सकता है"

"12 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ का ट्रूइंग अप

2019-24 की अवधि के लिए उत्पादन स्टेशनों, एकीकृत खदानों और पारेषण प्रणालियों के टैरिफ को 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ याचिका के साथ केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2019 के विनियम 13 के उपबंधों के अनुसार ट्रू ड अप किया जाएगा। 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ अवधारणा के लिए 1.4.2024 को प्रारम्भिक पूंजी लागत का आधार, ट्रू इंग अप के आधार पर 31.3.2024 को स्वीकृत पूंजी लागत का आधार बनेगा।

इसके अलावा, सीईआरसी टैरिफ विनियम 2024 के विनियमन 10(1) के अनुसार, याचिकाकर्ता को प्रासंगिक टैरिफ फॉर्म (सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 के साथ अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न) के अनुसार याचिका दायर करनी है, जिसमें टैरिफ अवधि 2024-29 के लिए अनुमानित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय का विवरण शामिल है।

2. वर्ष 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ का ट्रू-अप, प्रासंगिक टैरिफ प्रपत्र और अनुलग्नक इस याचिका के साथ **भाग-ए** के अंतर्गत संलग्न है।

3. चूंकि परियोजना की कट-ऑफ तिथि पहले ही बीत चुकी है, इसलिए 2024-29 की अवधि के लिए अनुमानित अतिरिक्त क्षमता का दावा सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 के विनियम 25 और 26 के प्रावधानों के तहत किया जा रहा है।

4. ट्रूइंग अप याचिका **(भाग-ए)** के आधार पर 31.03.2024 तक समापन पूंजी लागत रुपये 236612.48 लाख थी, जिसका उपयोग टैरिफ अवधि 2024-29 के लिए टैरिफ की गणना के लिए 01.04.2024 तक प्रारंभिक पूंजी लागत के रूप में किया गया है।

5. इस याचिका में विचारित टैरिफ अवधि 2024-29 के लिए अनुमानित पूंजीगत व्यय का विवरण **अनुलग्नक-II** के फॉर्म-9ए में दिया गया है। इसे नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	**विवरण**	**2024-25**	**2025-26**	**2026-27**	**2027-28**	**2028-29**
ए	वर्ष/अवधि के दौरान संवृद्धि	6452.70	2204.00	2200.00	270.00	560.00
बी	घटाएँ: वर्ष/अवधि के दौरान गैर पूंजीकरण	54.73	61.25	530.32	35.35	28.86
सी	जोड़ें: वर्ष / अवधि के दौरान निर्वहन (discharge)	5,114.90	57.66	0.30	17.63	0.00
डी	**शुद्ध योग (ए-बी+सी)**	**11512.87**	**2200.41**	**1669.98**	**252.28**	**531.14**

6. पूंजीगत लागत: उपरोक्त अनुमानित अतिरिक्त पूंजीकरण और रुपये 236612.48 लाख की प्रारंभिक पूंजी लागत (01.04.2024 तक) को ध्यान में रखते हुए, टैरिफ की गणना के लिए वर्षवार पूंजीगत लागत निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	**2024-25**	**2025-26**	**2026-27**	**2027-28**	**2028-29**
प्रारंभिक पूंजी लागत	236612.48	248125.35	250325.76	251995.74	252248.02
वर्ष के दौरान शुद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण	11512.87	2200.41	1669.98	252.28	531.14

समापन पूंजी लागत	248125.35	250325.76	251995.74	252248.02	252779.16

7. वार्षिक नियत लागत (एएफसी) की गणना:

उपरोक्त पूंजीगत लागत के आधार पर, टैरिफ के विभिन्न घटकों की गणना निम्नलिखित तरीके से की गई है, जैसा कि प्रासंगिक सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 में निर्दिष्ट है:

ए. <u>इक्विटी पर रिटर्न (आरओई):</u>

(i) उड़ी-II पावर स्टेशन एक आरओआर प्रकार का संयंत्र है, **<u>इक्विटी पर रिटर्न (आरओई)</u>** की गणना के लिए आधार दर को टैरिफ विनियम 2024 के विनियम-25 के तहत अनुमानित पूंजीगत व्यय के लिए 15.5% माना गया है और टैरिफ विनियम 2024 के विनियम-26 के तहत अनुमानित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के लिए 1 अप्रैल 2024 को एक वर्ष का एसबीआई एमसीएलआर प्लस 350 आधार अंक माना गया है।

(ii) आरओई की आधार दर को सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2024 के विनियमन-31(1) के अनुरूप 01.04.2024 को प्रचलित एमएटी दर के साथ जोड़ दिया गया है, जिसे बाद में "प्रभावी कर" दर के आधार पर सही किया जाएगा।

बी. <u>मूल्यह्रास:</u>

चूंकि उड़ी- **II** पावर स्टेशन ने 2026-27 के दौरान अपने उपयोगी जीवन के 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं**,** इसलिए 2027-28 से शेष मूल्यह्रास मूल्य को पावर स्टेशन के उपयोगी जीवन को **40 वर्ष** मानते हुए सीईआरसी टैरिफ विनियम**,** 2024 के विनियम 33 के अनुरूप पावर स्टेशन के शेष उपयोगी जीवन पर फैलाया गया है।

सी. <u>ऋण पर ब्याज:</u>

सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 के विनियम 32 के अनुरूप टैरिफ अवधि 2024-29 के लिए ऋण पर ब्याज की गणना के लिए वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो पर आधारित ब्याज की भारित औसत दर पर विचार किया जाता है।

डी. <u>प्रचालन व रखरखाव व्यय (ओएंडएम व्यय):</u>

टैरिफ अवधि 2024-29 के लिए उड़ी-II पावर स्टेशन के लिए लागू ओएंडएम व्यय को पहले ही केन्द्रीय विद्‌युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2024 के विनियम 36(2) के तहत माननीय आयोग द्वारा पावर स्टेशन के पिछले वर्षों के वास्तविक ओएंडएम व्यय के आधार पर अधिसूचित किया जा चुका है। केन्द्रीय विद्‌युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2024 के विनियम 36(2) का प्रासंगिक अंश

"36 प्रचालन एवं रखरखाव व्यय:

(2) हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन:

विवरण	***वित्त वर्ष 2024-25***	***वित्त वर्ष 2025-26***	***वित्त वर्ष 2026-27***	***वित्त वर्ष 2027-28***	***वित्त वर्ष 2028-29***
उड़ी-II	*9135.41*	*9634.91*	*10161.71*	*10717.33*	*11303.32*

....

*(ग) **हाइड्रो उत्पादन स्टेशनों के लिए प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा प्राप्त सुरक्षा व्यय, पूंजी स्पेयर्स एवं बीमा व्यय की अनुमति विवेकपूर्ण जांच के बाद पृथक रूप से दी जाएगी:***

बशर्ते यह कि उत्पादन स्टेशन उसके अनुमानित व्यय के साथ सुरक्षा व्यय, पूंजी स्पेयर्स और बीमा व्यय का मूल्यांकन प्रस्तुत करेंगे, जिसे समुचित स्पष्टीकरण के साथ उपभोग

किए गए वर्षवार वास्तविक पूंजी व्यय, वास्तविक बीमा और व्ययित सुरक्षा व्यय के विवरणों के आधार पर ट्रूड अप किया जाएगा।

तदनुसार, 2024-29 के लिए अनुमानित सुरक्षा व्यय का दावा 2023-24 के दौरान वास्तविक सुरक्षा व्यय के आधार पर 2024-25 से 5.47% की दर से बढ़ाकर किया गया है। 2024-25 के लिए बीमा व्यय प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर दिए गए बीमा लागत के आधार पर लिया गया है। इसके अलावा इस लागत को 2025-26 से 2028-29 तक 5.47% प्रति वर्ष की दर से बढ़ाया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम का परियोजनावार ब्यौरा और प्रतिस्पर्धी बोली से संबंधित दस्तावेज़ **अनुलग्नक - V के रूप में संलग्न हैं।** पूंजीगत पुर्जों की खपत का दावा वास्तविक खपत के आधार पर ट्रूइंग अप करने के समय किया जाएगा। अनुमत ओएंडएम व्यय के अतिरिक्त दावा किए गए ओएंडएम व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपये लाख में)

विवरण	**2024-25**	**2025-26**	**2026-27**	**2027-28**	**2028-29**
स्वीकृत मानक ओ एंड एम व्यय	9135.41	9634.91	10161.71	10717.33	11303.32
अनुमानित सुरक्षा व्यय (बी)	3097.81	3267.26	3445.98	3634.48	3833.28
अनुमानित बीमा व्यय (सी)	1990.52	2099.40	2214.24	2335.36	2463.10
पूंजीगत पुर्जों की खपत (घ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल ओ एंड एम व्यय (ई = ए + बी + सी + डी)	**14223.74**	**15001.58**	**15821.93**	**16687.17**	**17599.71**

तदनुसार, माननीय आयोग से अनुरोध है कि वह 2024-29 की अवधि के लिए उपरोक्त ओएंडएम व्यय की अनुमति प्रदान किया जाए। 2024-29 के दौरान सुरक्षा व्यय, पूंजीगत पुर्जों की खपत और बीमा व्यय के कारण वास्तविक व्यय टैरिफ के ट्रू इंग अप करने के समय प्रस्तुत किया जाएगा।

ई. **<u>कार्यशील पूंजी पर ब्याज</u>**

कार्यशील पूंजी पर ब्याज की गणना विनियमन 34(1)(डी) के अनुसार मानक आधार पर और सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 के विनियम 34(3) के अनुसार 01.04.2024 के संदर्भ दर पर की गई है।

8. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2024 के आधार पर 01.04.2024 से 31.03.2029 की अवधि के लिए उड़ी-II पावर स्टेशन के संबंध में वार्षिक नियत लागत (एएफसी) निम्नानुसार है: (अनुलग्नक-II का फॉर्म-1 देखें)।

(रुपये लाख में)

एएफसी घटक	**2024-25**	**2025-26**	**2026-27**	**2027-28**	**2028-29**
मूल्यह्रास	12342.84	12692.02	12790.57	2575.88	2590.34
ऋण पर ब्याज	3384.44	2821.91	2060.08	1508.94	2648.87
इक्विटी पर रिटर्न (आरओई)	13649.27	14027.92	14127.15	14178.55	14200.62
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	1,050.02	1,085.98	1,112.92	989.19	1,047.47
***प्रचालन एवं रखरखाव* पर *व्यय* (O&M Expenses)**	14223.74	15001.58	15821.93	16687.17	17599.71

वार्षिक नियत लागत (एएफसी)	**44650.32**	**45629.42**	**45912.66**	**35939.72**	**38087.00**

9. मध्यस्थता/न्यायालय मामले:

ए. जम्मू और कश्मीर के उरी-II जल विद्‌युत परियोजना के सिविल कार्य पैकेज लॉट-I-द्वार, कंक्रीट बी/ग्रेविटी डैम, हेड रेस टनल, सर्ज शाफ्ट, प्रेशर शाफ्ट, पावर हाउस और टेल रेस टनल सहित डायवर्सन टनल के निर्माण के संबंध में मेसर्स एचसीसी और एनएचपीसी लिमिटेड के बीच मध्यस्थता के मामले में। (विवाद संख्या-1)

यह कार्य मूल दायरे में है (उरी-II जल विद्‌युत परियोजना, जम्मू-कश्मीर के गेट, कंक्रीट बी/ग्रेविटी डैम, हेड रेस टनल, सर्ज शाफ्ट, प्रेशर शाफ्ट, पावर हाउस और टेल रेस टनल सहित डायवर्सन टनल का निर्माण)। ठेकेदार मेसर्स एचसीसी ने निम्नलिखित के कारण अतिरिक्त लागत का दावा किया है:

(i) अनुबंध की विस्तारित अवधि में अतिरिक्त ओवरहेड लागत (दावा संख्या 1)

(ii) अनुबंध की विस्तारित अवधि में साइट पर दावेदार के उपकरण को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त व्यय (दावा संख्या 2)

(iii) अनुबंध की विस्तारित अवधि में साइट और शिविर सुविधाओं के लिए डी.जी. सेट चलाने के लिए अतिरिक्त व्यय (दावा संख्या 3)

(iv) अनुबंध की विस्तारित अवधि के दौरान सामग्री पर अप्रकाशित वृद्धि के कारण अतिरिक्त व्यय (दावा संख्या 4)

(v) ओवरहेड और मुनाफे के घटक की देरी से वसूली के कारण वित्तपोषण शुल्क (ब्याज) के रूप में अतिरिक्त व्यय। (दावा संख्या 5)

(vi) परियोजना में लंबे समय तक बने रहने के कारण कमाई क्षमता और लाभ की हानि और परिणामस्वरूप लाभ पर ब्याज की हानि के कारण अतिरिक्त व्यय। (दावा संख्या 6)

(vii) अनुबंध की विस्तारित अवधि में अतिरिक्त श्रम लागत (दावा संख्या 7)

18.09.2015 को, मध्यस्थ न्यायाधिकरण (एटी) ने 51.32 करोड़ रुपये (मूलधन) और 31.08.2015 तक 38.30 करोड़ रुपये की दर से ब्याज और 01.09.2015 से 30.11.2015 तक 14% की दर से भुगतान करने का आदेश दिया है। एटी ने आगे निर्देश दिया है कि यदि भुगतान 30.11.2015 को या उससे पहले मेसर्स एचसीसी के पक्ष में अंतिम भुगतान की तारीख तक नहीं किया जाता है, तो उस पर 18% प्रति वर्ष की दर से मासिक चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाएगा। इसके अलावा, सीसीईए और ओएम संख्या के निर्णय के अनुसार। 14070/14/2016-पीपीपीएयू दिनांक 05.09.2016 (निर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के उपाय-reg), एनएचपीसी को बैंक गारंटी (बीजी) के बदले ठेकेदार को कुल भुगतान के 75% के बराबर राशि (यानी ऐसे पुरस्कार के अनुसार देय ब्याज सहित मध्यस्थता पुरस्कार राशि, यदि कोई हो) का भुगतान करना आवश्यक था, जो चुनौती के तहत मामले में अदालत के अंतिम आदेश के अधीन था। एनएचपीसी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पुरस्कार को चुनौती दी है। हालांकि, नीति आयोग के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, 01.09.2017 और 30.09.2017 को बीजी के खिलाफ ठेकेदार मेसर्स एचसीसी को 84.57 करोड़ रुपये (मूलधन: 38.49 करोड़ रुपये और ब्याज 46.08 करोड़ रुपये) की राशि का भुगतान किया गया, जो 31.12.2016 तक कुल भुगतान के 75% के रूप में है। मामले की समग्र स्थिति को ध्यान में रखते हुए, लेखा पुस्तकों में 17.46 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया था और यह हमारी पुस्तकों में मौजूद है। यह देयता **अनुलग्रक-II** के टैरिफ फॉर्म 16 (2015-16) में दर्शाई जा रही है।

मौजूदा सीईआरसी विनियमों के अनुसार, 2024-25 के दौरान फॉर्म-9ए में एस. संख्या बी (3) पर विनियमन 25(1)(ए) के तहत 21.03 करोड़ {यानी 38.49 करोड़ रुपये में से 17.46 करोड़ रुपये घटाकर} (मूलधन) का दावा किया जाता है। इसके अलावा, 2024-25 के दौरान फॉर्म-16 (2024-29) के एस. संख्या 18 पर देयता के निर्वहन के माध्यम से पूंजीगत लागत में 17.46 करोड़ रुपये की देयता राशि का दावा किया जा रहा है। साथ ही, सीईआरसी विनियम, 2024 के विनियमन 91 के तहत प्रतिपूर्ति के लिए 46.08 करोड़ रुपये की ब्याज राशि का दावा किया जा रहा है। वर्तमान में, मामला बहस के चरण में है और बहुत जल्द इसका निपटारा होने की संभावना है और तदनुसार वर्तमान याचिका में दावा किया जा रहा है। मध्यस्थता न्यायाधिकरण के फैसले की प्रति और अदालती मामले से संबंधित दस्तावेज **अनुलग्रक-VI** के अनुसार संलग्न हैं।

31.12.2016 तक के पोस्ट अवार्ड ब्याज सहित मध्यस्थता पुरस्कार राशि का भुगतान ठेकेदार मेसर्स एचसीसी को 01.09.2017 और 30.09.2017 को किया गया है। हालांकि, याचिकाकर्ता को पहले से वितरित ब्याज राशि के लिए टैरिफ में लाभ से वंचित किया गया है। यदि मामला पहले निपट गया होता, तो याचिकाकर्ता को संवितरण की तारीख से टैरिफ मिल सकता था। तदनुसार, यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि पर संवितरण की तारीख से 31.03.2024 तक मौजूदा सीईआरसी विनियमन के अनुसार काल्पनिक ब्याज की अनुमति दी जाए। हमने मौजूदा सीईआरसी विनियमन, 2019 के अनुसार **@एमसीएलआर+350बीपी** पर **64.09 करोड़ रुपये** की ब्याज राशि की गणना की है।

बी. जम्मू और कश्मीर के उरी-II जल विद्युत परियोजना के सिविल कार्य पैकेज लॉट-I-द्वार, कंक्रीट बी/ग्रेविटी डैम, हेड रेस टनल, सर्ज शाफ्ट, प्रेशर शाफ्ट, पावर हाउस और टेल रेस टनल सहित डायवर्सन टनल के निर्माण के संबंध में मेसर्स एचसीसी और एनएचपीसी लिमिटेड के बीच मध्यस्थता के मामले में। (विवाद संख्या-3)

यह कार्य मूल दायरे में है। ठेकेदार मेसर्स एचसीसी ने निम्नलिखित के कारण अतिरिक्त लागत का दावा किया है:

(i) कार्य के दायरे और अनुबंध मूल्य में कमी के कारण दावेदार को लागत और लाभ के अप्राप्य तत्व के लिए मुआवजे का भुगतान। (दावा संख्या 1)

(ii) रॉक क्लास I, II और III में हेड रेस टनल और एडिट्स की खुदाई के मद के संबंध में संशोधित दर के साथ भुगतान (समूह डी के बीओक्यू आइटम नंबर 3.1.1) "सीओपीए के उप खंड 52.2 के तहत दर संशोधन के लिए योग्य है। (दावा संख्या 2)

(iii) भूवैज्ञानिक रूप से स्वीकृत ओवरब्रेक में कंक्रीट के लिए भुगतान, बीओक्यू में प्रदान की गई मात्रा से अधिक और उससे अधिक निष्पादित। (दावा संख्या 3)

(iv) आतंकवाद से जुड़े जोखिम के लिए बीमा कवरेज के प्रीमियम के लिए कटौती की गई राशि की वापसी। (दावा संख्या 4)

(v) बाद के कानून के कारण अतिरिक्त लागत की प्रतिपूर्ति। (दावा संख्या 5)

(vi) भवन और अन्य निर्माण श्रमिक उपकर की प्रतिपूर्ति। (दावा संख्या 6

06.05.2016 को, मध्यस्थ न्यायाधिकरण (एटी) ने मेसर्स एचसीसी के पक्ष में 55.83 करोड़ रुपये (मूलधन) और ब्याज 18.11 करोड़ रुपये पुरस्कार की तारीख तक और पुरस्कार की तारीख से अंतिम

भुगतान की तारीख तक 10% की दर से देने का आदेश दिया। एनएचपीसी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मध्यस्थ न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती दी है। हालांकि, न्यायालय ने पुरस्कार राशि (पुरस्कार राशि का 75%) अदालत में जमा करने का निर्देश दिया है। तदनुसार, 54.59 करोड़ रुपये (0.85 करोड़ रुपये के समायोजन के बाद) 26.09.2018/25.07.2019 को अदालत में जमा किए गए। इस विवाद में अदालत में जमा की गई कुल राशि मूलधन: 41.87 करोड़ रुपये और ब्याज: 12.73 करोड़ रुपये है। मामले की समग्र स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आकस्मिक देयता को लेखा पुस्तकों में दर्शाया गया है और यह हमारी पुस्तकों में भी मौजूद है। हालाँकि, देयता का उल्लेख टैरिफ फॉर्म 16 (पहले की याचिका में) में नहीं किया गया है।

मौजूदा सीईआरसी विनियमों के अनुसार, 2024-25 के दौरान फॉर्म-9ए में विनियमन 25(1)(ए) के तहत अतिरिक्त कैप के रूप में 41.87 करोड़ रुपये (मूलधन) का दावा किया गया है। इसके अलावा, सीईआरसी विनियम, 2024 के विनियमन 91 के तहत प्रतिपूर्ति के लिए 12.73 करोड़ रुपये की ब्याज राशि का दावा किया जा रहा है। वर्तमान में, मामला बहस के चरण में है और बहुत जल्द इसका निपटारा होने की संभावना है और तदनुसार वर्तमान याचिका में दावा किया जा रहा है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पुरस्कार की प्रति और अदालती मामले से संबंधित दस्तावेज **अनुलग्नक-VIII** के अनुसार संलग्न हैं।

ठेकेदार मेसर्स एचसीसी को 26.09.2018/25.07.2019 को पुरस्कार के बाद ब्याज सहित मध्यस्थता पुरस्कार राशि का भुगतान किया गया है। हालांकि, याचिकाकर्ता को पहले से वितरित ब्याज राशि के लिए टैरिफ में लाभ नहीं दिया गया है। यदि मामला पहले ही निपट जाता, तो याचिकाकर्ता को संवितरण की तिथि से टैरिफ मिल सकता था। तदनुसार, यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि पर संवितरण की तिथि से 31.03.2024 तक मौजूदा सीईआरसी विनियमन के अनुसार काल्पनिक ब्याज की अनुमति दी जाए। हमने मौजूदा सीईआरसी विनियमन, 2019 के अनुसार **@MCLR+350bp पर 34.13 करोड़ रुपये** की ब्याज राशि की गणना की है। माननीय आयोग से अनुरोध है कि कृपया इसे अनुमति दें।

सी. जम्मू और कश्मीर के उरी-II जल विद्युत परियोजना के सिविल कार्य पैकेज लॉट-I-द्वार, कंक्रीट बी/ग्रेविटी डैम, हेड रेस टनल, सर्ज शाफ्ट, प्रेशर शाफ्ट, पावर हाउस और टेल रेस टनल सहित डायवर्सन टनल के निर्माण के संबंध में मेसर्स एचसीसी और एनएचपीसी लिमिटेड के बीच मध्यस्थता के मामले में। (विवाद संख्या-2)

यह कार्य मूल दायरे में है। ठेकेदार मेसर्स एचसीसी ने निम्नलिखित के कारण अतिरिक्त लागत का दावा किया है:

(i) ओवरहेड लागत (साइट पर और साइट से बाहर) (दावा संख्या 1)

(ii) साइट पर उपकरणों को बनाए रखने के लिए व्यय (दावा संख्या 2)

(iii) साइट और शिविर सुविधाओं के लिए डीजी सेट चलाने के लिए व्यय (दावा संख्या 3)।

(iv) सामग्री पर अप्रकाशित वृद्धि के कारण व्यय (दावा संख्या 4)

(v) ओवरहेड और लाभ के घटक की देरी से वसूली के कारण वित्तपोषण शुल्क (ब्याज) के रूप में व्यय (दावा संख्या 5)

(vi) परियोजना में लंबे समय तक रहने के कारण कमाई क्षमता और लाभ की हानि और परिणामस्वरूप लाभ पर ब्याज की हानि के कारण व्यय (दावा संख्या 6)

(vii) श्रम लागत (टुकड़ा दर पर काम करने वाला) (दावा संख्या 7)

दिनांक 15.03.2017 को, मध्यस्थ न्यायाधिकरण (एटी) ने मेसर्स एचसीसी के पक्ष में 44.37 करोड़ रुपये (मूलधन) और 15.47 करोड़ रुपये ब्याज का फैसला सुनाया, जो एसओसी दाखिल करने की तारीख से पुरस्कार की तारीख तक पुरस्कार राशि पर 14% साधारण ब्याज की दर से गणना की गई है और पुरस्कार की तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी लगाया गया है। एनएचपीसी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मध्यस्थ न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती दी है। हालांकि, न्यायालय ने पुरस्कार राशि (ब्याज सहित पुरस्कार राशि का 75%) अदालत में जमा करने का निर्देश दिया है। तदनुसार, 26.09.2018/25.07.2019 को अदालत में 66.88 करोड़ रुपये (मूलधन 33.28 करोड़ रुपये और ब्याज 33.60 करोड़ रुपये) जमा किए गए। खाता बही में 43.48 करोड़ रुपये बनाए गए और वही हमारी पुस्तकों में मौजूद हैं। इसके अलावा, टैरिफ फॉर्म 16 (पहले की याचिका में) में 43.48 करोड़ रुपये की देनदारी का उल्लेख किया गया है। मौजूदा सीईआरसी विनियमों के अनुसार, फॉर्म-16 के तहत 2024-25 के दौरान देयता के निर्वहन के माध्यम से अतिरिक्त कैप के रूप में 33.28 करोड़ रुपये (मूलधन) का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा, सीईआरसी विनियम, 2024 के विनियम 91 के तहत प्रतिपूर्ति के लिए 33.60 करोड़ रुपये की ब्याज राशि का दावा किया जा रहा है। वर्तमान में, मामला बहस के चरण में है और बहुत जल्द निपटारे की संभावना है और तदनुसार वर्तमान याचिका में दावा किया जा

रहा है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पुरस्कार की प्रति और अदालती मामले से संबंधित दस्तावेज **अनुलग्नक- VII** के अनुसार संलग्न हैं।

मध्यस्थता पुरस्कार की राशि, जिसमें पुरस्कार के बाद का ब्याज भी शामिल है, का भुगतान ठेकेदार मेसर्स एचसीसी को 26.09.2018/25.07.2019 को कर दिया गया है। हालांकि, याचिकाकर्ता को पहले से खर्च की गई लागत के लिए टैरिफ में लाभ से वंचित किया गया है। यदि मामला पहले ही निपट जाता, तो याचिकाकर्ता को संवितरण की तारीख से टैरिफ मिल सकता था। तदनुसार, यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि पर संवितरण की तारीख से 31.03.2024 तक मौजूदा सीईआरसी विनियमन के अनुसार काल्पनिक ब्याज की अनुमति दी जाए। हमने मौजूदा सीईआरसी विनियमन, 2019 के अनुसार @MCLR+350bp पर 39.61 करोड़ रुपये की ब्याज राशि की गणना की है। माननीय आयोग से अनुरोध है कि कृपया इसे अनुमति दें।

10. 31.10.2017 तक के पोस्ट अवार्ड ब्याज सहित मध्यस्थता पुरस्कार राशि का भुगतान ठेकेदार मेसर्स गैमन इंडिया लिमिटेड को 15.01.2020 को कर दिया गया है। हालांकि, याचिकाकर्ता को पहले से वितरित ब्याज राशि के लिए टैरिफ में लाभ नहीं दिया गया है। यदि मामला पहले सुलझ जाता, तो याचिकाकर्ता को संवितरण की तारीख से टैरिफ मिल सकता था। तदनुसार, यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि पर संवितरण की तारीख से 31.03.2024 तक मौजूदा सीईआरसी विनियमन के अनुसार काल्पनिक ब्याज की अनुमति दी जाए। हमने मौजूदा सीईआरसी विनियमन, 2019 के अनुसार **@MCLR+350bp पर 15.46 करोड़ रुपये** की ब्याज राशि की गणना की है। माननीय आयोग से अनुरोध है कि कृपया इसे अनुमति दें।
11. वर्ष 2024-25 (टैरिफ अवधि 2024-29 का पहला वर्ष) के लिए 10,56,000/- रुपये की फाइलिंग फीस सीईआरसी (शुल्क का भुगतान) विनियम, 2012 और इसके संशोधनों के अनुसार पहले ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्तांतरित की जा चुकी है। सीईआरसी को पहले ही इसकी सूचना दे दी गई है। इसके अलावा, टैरिफ अवधि 2024-29 के शेष वर्षों के संबंध में फाइलिंग शुल्क याचिकाकर्ता द्वारा उपरोक्त सीईआरसी विनियम के अनुपालन में संबंधित वर्ष की 30 अप्रैल तक जमा किया

जाएगा। तदनुसार, माननीय आयोग से अनुरोध है कि वह सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2024 के विनियम 94(1) के अनुरूप लाभार्थियों से फाइलिंग शुल्क की प्रतिपूर्ति की अनुमति दे।

12. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 2023 के अनुपालन में, याचिकाकर्ता उड़ी-II पावर स्टेशन के संबंध में टैरिफ याचिका की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा। इसके लिए प्रकाशन का प्रमाण अलग से प्रस्तुत किया जाएगा। माननीय आयोग से अनुरोध है कि वह सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 के विनियम 94(1) के अनुरूप लाभार्थियों से प्रकाशन व्यय की वसूली की अनुमति प्रदान करें।

13. उपर्युक्त टैरिफ प्रस्ताव में किसी भी सरकार (केन्द्रीय/राज्य) और/या किसी अन्य स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/विनियामक प्राधिकरण द्वारा विद्युत उत्पादन सहायक उपभोग (auxiliary consumption) सहित अथवा किसी अन्य प्रकार के उपभोग जैसे कि विद्युत पारेषण, पर्यावरण संरक्षण, विद्युत/ऊर्जा की बिक्री या आपूर्ति, और/या उत्पादन स्टेशनों और/या पारेषण प्रणाली से संबद्ध इसके किसी भी प्रतिष्ठान के संबंध में लगाए गए/प्रभारित किए गए किसी भी वैधानिक कर, शुल्क, उपकर या अन्य प्रकार के अधिरोपण शामिल नहीं हैं।

14. एनएचपीसी द्वारा किसी भी माह में संबंधित प्राधिकारियों को उक्त करों/शुल्कों/उपकर/लेवी आदि के रूप में देय राशि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रतिवादियों द्वारा वहन की जाएगी तथा एनएचपीसी को अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा तथा प्रतिवादियों द्वारा उनके द्वारा देय वार्षिक क्षमता प्रभार के अनुपात में इसे देय किया जाएगा।

15. इसके अलावा, टैरिफ प्रस्ताव में सीईआरसी (अंतर- राज्यिक पारेषण प्रभारों हानियों हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020 और इसके संशोधनों तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण की फीस तथा प्रभार तथा अन्य सहबद्ध मामले) विनियम, 2024 और इसके संशोधनों के तहत PGCIL, POSOCO/ NLDC को भुगतान किए जाने वाले किसी भी ट्रांसमिशन/संचार/यूएलडीसी शुल्क को शामिल नहीं किया गया है। सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 के विनियम 94 के अनुसार ये शुल्क लाभार्थियों से सीधे वसूल किए जाएँगे।

भाग-सी: वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कमी का दावा

1. सीईआरसी टैरिफ विनियम 2024 का विनियम 65(8) उत्पादक कंपनी को टैरिफ अवधि 2019-24 के लिए shortfall का दावा करने की अनुमति देता है, जिसे इस विनियम के विनियम 65(7) के अनुसार वसूल किए जाने वाले टैरिफ अवधि के दौरान वसूल नहीं किया जा सका है। विनियमों का प्रासंगिक अंश निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

   "65. जल विद्युत उत्पादन स्टेशनों के लिए क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार की गणना और भुगतान:

   ..

   (7) यदि वर्ष के दौरान हाइड्रो उत्पादन स्टेशन की बिक्री योग्य अनुसूचित ऊर्जा (एक्स-बस) उत्पादन स्टेशन के नियंत्रण से आगे कारणों के लिए बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा (एक्स-बस) से कम है, उत्पादन स्टेशन तत्काल आगामी वर्ष में डीएसएम ऊर्जा के लिए समायोजन के बाद छः बराबर ब्याजमुक्त मासिक किस्तों में ऊर्जा प्रभार में कमी की प्रत्यक्ष रूप से वसूली कर सकता है और टैरिफ अवधि के अंत तक टूइंग अप के अधीन होगा।

   परंतु यह कि ....।

   (8) टैरिफ अवधि 2019-24 के दौरान बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा (एक्स-बस) से कम रही बिक्री योग्य अनुसूचित ऊर्जा (एक्स-बस) के कारण ऊर्जा प्रभारों में कोई कमी, जो उत्पादन स्टेशन के नियंत्रण से बाहर थी और जिसे उक्त टैरिफ अवधि के दौरान वसूल नहीं किया जा सका, इस विनियम के खंड (7) के अनुसार वसूल की जाएगी ।

2. सीईआरसी टैरिफ विनियम 2024 की अधिसूचना तक एनएचपीसी ने सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019 के विनियम 44(7) के अनुरूप वित्त वर्ष 2019-20, वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए shortfall की याचिकाएं दायर की हैं। हालांकि, सीईआरसी टैरिफ विनियम 2024 की अधिसूचना तक वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए shortfall याचिकाएं

सीईआरसी में दायर नहीं की जा सकीं क्योंकि वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अंतिम आरईए जारी नहीं किया गया था।

3. इसलिए, एनएचपीसी ने विनियम 65(8) और 65(7) के अनुरूप एनएचपीसी के कुछ पावर स्टेशनों के लिए सितंबर 2024 के महीने में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ऊर्जा शुल्क में shortfall का बिल जारी किया है। वर्तमान में, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अंतिम (final) आरईएए प्राप्त न होने के कारण वित्त वर्ष 2023-24 में shortfall का बिल आज तक नहीं जारी किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अंतिम आरईएए प्राप्त होने पर, एनएचपीसी संबंधित पावर स्टेशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ऊर्जा शुल्क में shortfall का बिल जारी करेगा। Final REA प्राप्त होने के बाद ऊर्जा शुल्क में shortfall को सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2024 के विनियमन 65(8) और 65(7) के अनुसार टूड अप किया जाएगा और इस संबंध में विस्तृत प्रस्तुति (detail submission) तत्काल याचिका में अतिरिक्त जानकारी के रूप में की जाएगी।

<u>प्रार्थना</u>

<u>भाग-ए: 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ का ट्रूइंग अप</u>

माननीय आयोग से अनुरोध है कि कृपया निम्न का अनुमति प्रदान करने की कृपा करें:

1. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2019 के विनियम-13 के अनुसार दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2024 की अवधि के लिए उड़ी-II पावर स्टेशन के टैरिफ में संशोधन हेतु अनुमति प्रदान करें ।
2. जैसा कि ऊपर **पैरा-7 (भाग-ए) में उल्लिखित है,** ऐसे अतिरिक्त पूंजीगत व्यय की कृपया अनुमति प्रदान करें, जिन्हें सीईआरसी के दिनांक 27.11.2023 के आदेश द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन 2019-24 के दौरान साइट विशिष्ट की आवश्यकताओं के कारण खर्च किए गए थे।

3. उपरोक्त **पैरा-7 (भाग-ए)** में उल्लिखित ऐसे अतिरिक्त पूंजीगत व्यय की अनुमति प्रदान करें, जिन्हें सीईआरसी के सीईआरसी विनियम 2019 के विनियम 26 के अंतर्गत संयंत्र के सफल और कुशल संचालन के लिए आवश्यक समझा गया था ।

4. उपरोक्त **पैरा-8 (भाग-ए)** में उल्लिखित टैरिफ के प्रयोजन के लिए छोटी परिसंपत्तियों, औजारों और उपकरणों, फर्नीचर, कंप्यूटर आदि की प्रकृति वाली वस्तुओं से संबंधित प्रविष्टियों के अपवर्जन (exclusion) करने की अनुमति प्रदान करें।

5. **पैरा-9 (भाग-ए)** में किए गए दावा के अनुसार शुद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण की अनुमति प्रदान करें ।

6. **पैरा-11 (ए)** भाग-ए) में उल्लिखित के अनुसार 2019-24 की अवधि के लिए 'प्रभावी कर' **इक्विटी पर रिटर्न (आरओई)** की सकल दर के आधार पर ट्रूइंग अप करने की अनुमति प्रदान करें ।

7. प्रचालन एवं रखरखाव व्यय के अंतर्गत **पैरा-11 (डी)** में दावा किए प्रचालन एवं रखरखाव व्यय (ओ एंड एम व्यय) की अनुमति प्रदान करें ।

8. उड़ी-II पावर स्टेशन के वार्षिक नियत लागत (एएफसी) की गणना और दावा क्रमशः वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए **₹ 44658.64 लाख , ₹ 44291.73 लाख , ₹ 43971.97 लाख , ₹ 45960.82 लाख और ₹ 45346.59 लाख रुपये किया गया है, जैसा कि ऊपर पैरा-12 (भाग-ए) में उल्लिखित है** । माननीय आयोग कृपया उपरोक्त एएफसी की अनुमति दे। दावा किए गए एएफसी और याचिका 257/जीटी/2020 में सीईआरसी के आदेश दिनांक 27.11.2023 द्वारा अनुमत एएफसी के बीच के अंतर को सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2019 के विनियम 13(4) और इसके बाद के संशोधनों में निर्दिष्ट तरीके से प्रतिवादियों से वसूल / वापस करने की अनुमति प्रदान करें।

9. जैसा कि ऊपर **पैरा-14 से 16 (भाग-ए**) **में उल्लेख किया गया है कि** एनएचपीसी को प्रतिवादियों को लेवी, कर, शुल्क, उपकर, प्रभार, फीस आदि, यदि कोई है के लिए बिल करने की अनुमति प्रदान करें।

<u>भाग-बी: 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ याचिका</u>

माननीय आयोग से अनुरोध है कि कृपया निम्न का अनुमति प्रदान करने की कृपा करें:

10. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2024 के विनियम-10 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1)(ए) के अंतर्गत 01.04.2024 से 31.03.2029 की अवधि के लिए उड़ी-II पावर स्टेशन के टैरिफ की अनुमति प्रदान करें ।

11. **पैरा-5 एवं 6 (भाग-बी)** में दावा के अनुसार 2024-29 की अवधि के लिए शुद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण की अनुमति प्रदान करें ।

12. **पैरा-7(डी) (भाग-बी)** में दावा के अनुसार सुरक्षा व्यय एवं प्रचालन एवं रखरखाव व्यय (ओ एंड एम व्यय) की अनुमति प्रदान करें ।

13. **जैसा कि ऊपर पैरा-8 (भाग-बी) में बताया गया है कि** वित्त वर्ष 2024-25, 2025-26, 2026-27, 2027-28 और 2028-29 के लिए नियत वार्षिक लागत की क्रमशः **₹ 44650.32 लाख** , **₹ 45629.42 लाख, 45912.66 लाख** , **₹ 35939.72 लाख** और **₹ 38087.00 लाख** के रूप में गणना की गई है। माननीय आयोग कृपया इन नियत वार्षिक लागत (एएफसी) की अनुमति दें । दावा किए गए एएफसी और सीईआरसी द्वारा 27.11.2023 के आदेश (2023-24 की अवधि के लिए) के तहत अनुमत एएफसी के बीच के अंतर को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2024 के विनियम 10(6) और उसके बाद के संशोधनों में निर्दिष्ट तरीके से प्रतिवादियों से वसूलने/वापस करने की अनुमति प्रदान करें ।

14. सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2024 के विनियमन, 102 (ढील देने की शक्ति) और विनियमन, 103 (कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति) के तहत मानदंडों में छूट के **पैरा-9 और पैरा-10** [भाग-बी] में उल्लिखित मध्यस्थता मामले के दावे को अनुमति दें।

15. **पैरा-11 [भाग-बी]** में उल्लिखित अनुसार इस याचिका के दाखिल शुल्क की प्रतिपूर्ति की अनुमति दें।

16. **पैरा-12 [भाग-बी]** में उल्लिखित अनुसार टैरिफ याचिका में नोटिस के प्रकाशन पर अवधी 2024-29 में किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की अनुमति प्रदान करें ।

17. जैसा कि ऊपर **पैरा-13 से 15 (भाग-बी) में उल्लिखित है कि** एनएचपीसी को प्रतिवादियों को उपकर, कर, शुल्क, उपकर, ट्रांसमिशन प्रभार, फीस आदि, यदि कोई हो, के लिए बिल जारी करने की अनुमति प्रदान करें।

18. इस प्रकार के अन्य तथा अग्रिम आदेश पारित करने का अनुरोध किया जाता है जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित समझे जाएं।

एनएचपीसी लिमिटेड

के माध्यम से

(अजय श्रीवास)

महाप्रबंधक (वाणिज्य)

स्थान : फरीदाबाद

तारीख :28.11.2024

घोषणा

उपर्युक्त याचिकाकर्ता सत्यनिष्ठा से घोषणा करते हैं कि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई या दबाई नहीं गई है तथा आगे यह भी घोषणा करते हैं कि संलग्नक तथा सामग्री कागजातों का टाइप किया हुआ सेट, जिस पर भरोसा किया गया है तथा जिसे याचिका के साथ दाखिल किया गया है, मूल प्रतियों की सही प्रतियां हैं/मूल प्रतियों का उचित प्रतिनिधित्व हैं/उनका सही अनुवाद है।

28 नवम्बर 2024 को फ़रीदाबाद में सत्यापित किया गया।

एनएचपीसी लिमिटेड

के माध्यम से

(अजय श्रीवास)

महाप्रबंधक (वाणिज्यिक)

<u>माननीय केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली</u>

<u>के समक्ष</u>

याचिका संख्या /जीटी/2024

<u>इस मामले में</u> :

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1) (ए) और 79(1)(ए) और सीईआरसी (कारबार संचालन) विनियम, 2023 के विनियम 15(1)(ए), 23 और सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2019 के विनियम 13, 25,26,31(3), 34(3), 35(2) के तहत **उड़ी-II पावर स्टेशन के संबंध में 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ के ट्रूइंगअप हेतु याचिका** ।

<u>और इस मामले में</u> :

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1) (ए) और 79(1)(ए) और सीईआरसी (कारोबार संचालन) विनियम, 2023 के विनियम 15(1)(ए), 23 और सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2024 के विनियम 9(2), 10(1), 12, 25, 26, 36 (2), 65(7), 65(8) और अन्य प्रासंगिक विनियमों के तहत **उड़ी-II पावर स्टेशन के लिए 2024-29 की अवधि के टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिका के संबंध में** ।

याचिकाकर्ता

एनएचपीसी लिमिटेड,
(भारत सरकार का नवरत्न उद्यम)
एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33,
फरीदाबाद (हरियाणा) - 121 003.

प्रतिवादी(गण):

पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड,
द मॉल, काली बाड़ी मंदिर के पास, पटियाला – 147 001 (पंजाब)   व 12 अन्य
ईमेल: cmd_pspcl.in@gmail.com
फ़ोन नंबर : 0175-2212005

<u>याचिका की पुष्टि करने वाला हलफनामा</u>

मैं, अजय श्रीवास पुत्र श्री वी.पी. श्रीवास, आयु 52 वर्ष, महाप्रबंधक (वाणिज्यिक), एनएचपीसी लिमिटेड, निवासी फरीदाबाद, एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ और निम्नलिखित बताता हूँ:-

1. यह कि अभिसाक्षी याचिकाकर्ता का प्राधिकृत अधिकारी है तथा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अच्छी तरह परिचित है और इसलिए यह शपथपत्र देने के लिए सक्षम है।

2. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1)(ए) के अंतर्गत संलग्न याचिका मेरे द्वारा दायर की जा रही है और इसकी विषय-वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

3. याचिका में उल्लिखित तथ्यों के पैरा 1 से 16 (भाग-ए), पैरा 1 से 15 (भाग-बी) एवं पैरा 1 से 3 (भाग-सी) तक की सामग्री मेरे व्यक्तिगत ज्ञान, विश्वास और कार्यालय में रखे गए रिकॉर्ड के आधार पर सत्य और सही है।

4. याचिका के साथ संलग्न अनुलग्नक सही हैं तथा संबंधित मूल प्रतियों की सच्ची प्रतियां हैं।

5. यह कि अभिसाक्षी ने विवाद के विषय के संबंध में किसी अन्य फोरम या न्यायालय के समक्ष कोई अन्य याचिका या अपील दायर नहीं की है।

साक्षी

सत्यापन

आज दिनांक 28.11.2024 को फरीदाबाद में सत्यापित किया गया कि मेरे उपरोक्त शपथ पत्र की विषय-वस्तु मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है तथा इसका कोई भी भाग झूठा नहीं है तथा इसमें कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है।

साक्षी